11. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत किया जायेगा।

12. आवंटी द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार/संचय करने की दशा में मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय मलवा शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।

13. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

14. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।

15. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुपालन प्रत्येक दशा में करना होगा।

16. आवंटी द्वारा पर्यावरण निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बंधित विभाग से प्राप्त कर नियमानुसार 06 माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में किया गया निर्माण अनाधिकृत निर्माण मानते हुए स्वीकृत मानचित्र निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

17. आवंटी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 06 महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी0 से अधिक ऊँचाई के निर्माण स्थल पर किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में किया गया निर्माण अनाधिकृत निर्माण मानते हुए स्वीकृत मानचित्र निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

19. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–19 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

20. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जिसे उच्च स्तरीय समिति (सक्षम स्तर) की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया जायेगा।

21. आवंटी द्वारा क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क एवं सेल्टर फीस के मद में देय धनराशि परिषद खाते में जमा की गयी है जिसके सापेक्ष निर्माण की अनुमति तद्नुसार प्रदान की जा रही है।

22. मानचित्र स्वीकृति शर्तों का अनुपालन, कियान्वयन, निर्माण, विकास एवं अनुरक्षण कार्यो को सुनिश्चित किया जाये। जिसके सम्बंध में शासन/परिषद द्वारा भविष्य में प्राप्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

23. परिषद के पत्रांक 718/नि0प्रा0–2013/14 दिनांक 4–7–2013 द्वारा प्रश्नगत दोनों भूखण्डों को एकीकृत करते हुए सैटबैक्स/निर्माण पैरामीटर्स स्वीकृत हैं।

<u>सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

1.आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(26 नग)
2.स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का एक सैट–(67 नग)
3.स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन/रिपोर्ट एक सैट।

भवदीय,

03/11

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0 सं0:– /उक्त / दिनांक : 2015

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आवास आयुक्त महोदय के निजी सचिव/जिलाधिकारी (म0) लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–19,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना लखनऊ को मानचित्रों का एक सैट सहित इस आशय से प्रेषित है कि बिन्दु सं0–19, पर दी गयी शर्त के अनुसार प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करायें तथा आवंटी द्वारा मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह भी सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेंगे।
4. उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना लखनऊ उक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ।
5. उप निदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ को बिन्दु सं0–8 के अनुपालन में प्रपत्र–च सहित।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी